22-2-18 अज्ञ पीठासीन अधिकारी के दौरे पर होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 3-4-18 को पेश है।

रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

3-4-18 पत्रावली पेश हुई। दस्तूरात मरीजिल उभय अभियोजी द्वारा 3 ला की एडी जवाब 1 माह से अधिक लम्बा हो गया है उसके सिवाय एक तरफा कार्यवाही की जानी है पूर्व स्थान यथावत रहेगा। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 2-5-18 को पेश हो।

24-5-18 पत्रावली राजस्व लोक अदालत नियम आदेश 2 रार केस डिक्री पर आज पेश हुई। प्रार्थी स्वयं उभय प्रार्थी सदा स्वयं उपस्थित होकर राजस्व लोक अदालत नियम आदेश 2 रार केस डिक्री पर प्रार्थिक पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी द्वारा पश्चात्कारण से समझौता राजीनामा पेश बताया है। प्रकरण आगे चलाना नहीं चाहते हैं। प्रार्थी का प्रार्थिक पत्र सीकार किया जाकर रार ड्रोप किया जाता है। प्रार्थी का प्रार्थिक पत्र इसी स्टेज पर ड्रोप किया जाता है। पत्रावली मौसिल खुशार होकर बाद मालिल वकालत के दाखिल दफ्तर हो।